झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक 29.8.18

संख्या–15/मु०–16–08/2018 का०–6575/झारखण्ड राज्यान्तर्गत विभिन्न विभागों के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिकीय संवर्ग के कर्मियों की नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्त के निर्धारण हेतु कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या–1749 दिनांक–27.03.2010 द्वारा अधिसूचित "झारखण्ड राज्य लिपिक/लिपिक–सह–टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवा सम्वर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2010" के नियम–13(ख) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन उक्त नियमावली के नियम–8(ii) के प्रावधान को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है:–

पूर्व का प्रावधान	प्रतिस्थापन
पूर्व से कार्यरत निम्नवर्गीय लिपिकों/उच्चवर्गीय लिपिकों/प्रधान लिपिकों तथा कार्यालय अधीक्षकों की वरीयता उनके नियुक्ति की तिथि के क्रमानुसार रहेगी तथा एक ही तिथि को नियुक्त कर्मियों की वरीयता उनकी जन्म तिथि या जन्म तिथि एक रहने पर नामों के प्रारम्भिक अक्षर के आधार पर निर्धारित होगी।	इस संवर्ग में पूर्व से कार्यरत कर्मियों की आपसी वरीयता चयन आयोग द्वारा अनुशंसित मेधासूची के आधार पर संधारित होगी। जहाँ चयन आयोग की मेधासूची उपलब्ध नहीं हो, वहाँ कर्मियों की आपसी वरीयता नियुक्ति की तिथि के क्रमानुसार रहेगी तथा एक ही तिथि को नियुक्त कर्मियों की वरीयता उनकी जन्म तिथि तथा जन्म तिथि एक रहने पर नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के प्रारम्भिक अक्षर/अक्षरों के आधार पर निर्धारित होगी। चयन आयोग की मेधासूची के आधार पर एवं अन्य माध्यम से, यथा अनुकम्पा के आधार पर, एक ही वर्ष में नियुक्त कर्मियों में चयन आयोग की अनुशंसा के आधार पर नियुक्त कर्मी वरीय होंगे।

यह संशोधन "झारखण्ड राज्य लिपिक/लिपिक–सह–टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवा सम्वर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2010" के प्रवृत होने की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

"झारखण्ड राज्य लिपिक/लिपिक–सह–टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवा सम्वर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2010" के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(के० के० खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–15/मु०–16–08/2018 का०–6575/राँची, दिनांक:–29.8.18

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–15/मु०–16–08/2018 का०–6575/राँची, दिनांक:–29.8.18

प्रतिलिपि– सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं उपायुक्त/महाधिवक्ता कार्यालय, झारखण्ड, उच्च न्यायालय, राँची/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।